वयस्कों के साथ दुर्व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं

इसकी रिपोर्ट करें

newcastle
safeguarding
adults board

अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर देखिए:
newcastlesafeguarding.org.uk

दुर्व्यवहार कभी भी ठीक नहीं है

हर व्यक्ति को दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई जानने वाला दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है तो कृपया किसी को ज़रूर बताएं।

दुर्व्यवहार क्या होता है?

दुर्व्यवहार वह होता है जब कोई आपके साथ कोई गलत बात करता है या गलत हरक़त करता है जिससे आप परेशान या भयभीत हो जाते हैं। दुर्व्यवहार के विभिन्न रूप होते हैं:

शारीरिक दुर्व्यवहार – मार पड़ना या थप्पड़ पड़ना, जान-बूझकर गलत दवा देना घर में बंद रखना , बांधकर रखना या जबरदस्ती खाना खिलाना।

यौन दुर्व्यवहार – इच्छा के बिना छूना या चूमना, किसी को छूने या चूमने के लिए बाध्य किया जाना, और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के संपर्क में आना।

भावनात्मक दुर्व्यवहार – धमकाया जाना, अपनी मर्जी से कुछ ना करना, तंग किया जाना, जान-बूझकर लंबे समय तक अकेला छोड़ देना या सताना।

वित्तीय दुर्व्यवहार – धन या व्यक्तिगत संपत्ति चोरी होना, लाभ के लिए धोखा दिया जाना, किसी व्यक्ति ने पैसे उधार लिए है और उसे वापस नहीं कर रहा, अन्य लोगों को क्रेडिट कार्ड या चेक का उपयोग करने देने के लिए धमकाया जा रहा है।

नजरअंदाज – ज़रूरत अनुसार खाने या पीने के लिए नहीं दिया जा रहा, गंदे या गीले कपड़े पहने को देना, आपको दवा नहीं दी जा रही या मदद की ज़रूरत होने पर कोई डॉक्टर या नर्स को नहीं बुलाना।

भेदभावपूर्ण दुर्व्यवहार – किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना जिससे आपको इस वजह से निशाना बना के भेद भाव करना कि आप कौन हैं।

संस्थागत दुर्व्यवहार – बार-बार खराब देखभाल की घटना, कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कठोर दिनचर्या।

अपने आप को नजरअंदाज – आपके घर में आपकी देखभाल ना करना और जिससे आप बहुत अस्वस्थ रहते हो या आपको एहसास करवाना जहां आप रहते हो आप असुरक्षित है, ना चाहते हुए आपकी मदद ना करना जिससे आप अपने आपको सुरक्षित या बेहतर ना महसूस करे।

आपराधिक शोषण – जब किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार करने वाले द्वारा किसी अपराध को अंजाम देने या उसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्व्यवहार करने वाले लोग धमकियों या गंभीर हिंसा का उपयोग करके लोगों को नियंत्रित करते है।

दुर्व्यवहार हमेशा गलत होता है और कोई भी दुर्व्यवहार दूसरे प्रकार के दुर्व्यवहार से अधिक गंभीर नहीं होता।

दुर्व्यवहार का खतरा किसे होता है?

कोई भी दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है हालांकि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम में होते है। जोखिम में एक वयस्क है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे देखभाल और सहायता की ज़रूरत हो सकती है और वह अपने आप को नुकसान पहुंचने से नहीं बचा सकता है।

वयस्कों को ख़तरा हो सकते है;

- बूढ़े होने पर दूसरों की मदद की जरूरत पड़ना
- सीखने में अक्षम होना
- शारीरिक विकलांगता होना
- मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होना
- संवेदी समर्थन की आवश्यकता होना
- नशीले पदार्थ या शराब का दुरुपयोग करना

दुर्व्यवहार कहां हो सकता है?

दुर्व्यवहार कहीं भी और किसी भी समय हो सकता है, यह हो सकता है:

- किसी के घर में
- किसी डे सेंटर या आवासीय घर में
- एक कॉलेज में
- अस्पताल में
- सड़क या सार्वजनिक स्थान पर

दुर्व्यवहार तो कोई भी कर सकता है, यह हो सकता है;

- परिवार का सदस्य, दोस्त या पड़ोसी
- जीवनसाथी
- अजनबी
- लोगों का समूह
- देखभाल करने वाला कर्मचारी
- निजी सहायक
- चिकित्सा कर्मचारी
- स्वयंसेवक

दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कैसे दर्ज करते हैं

दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज़ करने के लिए कृपया संपर्क करें;

Community Health and Social Care Direct

टेलीफ़ोन: 0191 278 8377

टेक्स्टफ़ोन: 0191 278 8359

ईमेल: scd@newcastle.gov.uk

कृपया कार्यालय समय के बाद आपात्कालीन ड्यूटी टीम को कॉल करें

टेलीफ़ोन: 0191 278 7878

आपातकालीन स्थिति में हमेशा 999 पर कॉल करें

वयस्कों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए न्यूकैसल में सभी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। यदि आप किसी और को बताना चाहते हैं जिन पर आपको विश्वास है, जैसे कि जीपी, नर्स पुलिस अधिकारी या देखभाल कार्यकर्ता तो उन्हें आपकी चिंताओं से अवगत करा देंगे।

दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर क्या होता है?

आपके सूचना के आधार पर हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी सावधानीपूर्वक और संवेदनशील जांच करेंगे। हम जोखिम वाले वयस्कों और सभी संबंधित संगठनों के साथ मिलकर जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए काम करेंगे। इससे हमें जोखिम वाले वयस्क की सर्वोत्तम सुरक्षा और देखभाल करने के बारे में एक सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलेगी। जोखिम वाले वयस्कों या अन्य लोगों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए आगे की कार्रवाई या जांच की आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि आपको किसी अन्य प्रारूप या भाषा में यह जानकारी चाहिए तो कृपया इस फ़ोन पर सम्पर्क करें: 0191 278 8156 या ईमेल करें safeguardingboards@newcastle.gov.uk

अधिक जानकारी के लिए पर जाएं:
newcastlesafeguarding.org.uk

newcastle safeguarding adults board